



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## —सार्वजनिक सूचना—

जविप्रा की योजना बिन्दायका के आवास संख्या 397 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण Website : <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> / नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

  
उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-४४८ दिनांक ०९-५-२०२२

PR/R-305  
10/5/22



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-909

दिनांक 10-5-22

### - सार्वजनिक सूचना :-

राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 956/1 में रिसोर्ट क्षेत्रफल 34531.00 व.मी. का विवरण नियमानुसार है :-

| क्र. सं. | भूखण्ड सख्त्या                | क्षेत्रफल (व.मी.) | योजना का नाम          | मूल आवंटी का नाम                                | प्रथम से विक्य संबंधित अन/रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण   | अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम   |
|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|---|
| 1        | रिसोर्ट खसरा नं. 956/1(पार्ट) | 34531.00          | ग्राम कालवाड तह-जयपुर | श्री शान्तनु कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह | मूल आवंटी की मृत्यु पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र दिनांक 07.11.2012 को व संशोधित लीजडीड दिनांक 05.03.2013 को श्रीमती प्रमिला कुमारी पत्नी स्व. श्री शान्तनु कुमार एवं श्री हेमन्त कुमार पुत्र स्व. श्री शान्तनु कुमार के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। | श्रीमती प्रमिला कुमार पत्नी स्व. श्री शान्तनु कुमार व श्री हेमन्त कुमार पुत्र स्व. श्री शान्तनु कुमार निवासी-फिरदौस फार्म, कालवाड रोड, जयपुर। |

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के संबंध गुमशुदगी की रिपोर्ट/एफआईआर की कॉपी व लीजडीड की उप पंजीयक एवं मुद्रांक से प्रमाणित प्रतिलिपि व शपथ पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का लीजहोल्ड से फी-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

- 1 जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. श्रीमती प्रमिला कुमार पत्नी स्व. श्री शान्तनु कुमार व श्री हेमन्त कुमार पुत्र स्व. श्री शान्तनु कुमार निवासी-फिरदौस फार्म, कालवाड रोड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में इकरारनामा/विक्य पत्र नहीं किया गया है।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

१०३/१०५.२२

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर**

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ४५५

दिनांक... ०९.८.२०२१

**लोक सूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदवारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति लिं० की योजना श्री श्याम विहार विस्तार- ॥ के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिघृती अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिघृती अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्सित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

| ग्राम का नाम<br>मय तहसील          | हाल खसरा<br>नम्बर | रकबा<br>(हैक्टे. मे) | स्वामित्व  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| भांकरोटाकलां<br>तहसील<br>सांगानेर | 267               | 0.62                 | 1. दिनेश पुत्र बालूराम हि. 6069 / 248000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>2. प्रकाश पुत्र बालूराम हि. 6069 / 248000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>3. प्रभु पुत्र कानाराम हि. 6069 / 62000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>4. बोदराम पुत्र कानाराम हि. 6069 / 62000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>5. मनभर देवी पत्नि बालूराम हि. 6069 / 248000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>6. रणजीत पुत्र कानाराम हि. 6069 / 62000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>7. रामु पुत्र कानाराम हि. 6069 / 62000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>8. रीता शर्मा पुत्री प्रहलाद शर्मा पति डा. अशोक कुमार शर्मा हि. 131 / 6200 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>9. सेद्धराम पुत्र मोहरू हि. 6069 / 12400 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार<br>10. सुरेश पुत्र बालूराम हि. 6069 / 248000 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार |
|                                   | कुल किता 1        | कुल 0.62 हैक्टे.     |  |

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा रिथित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्सित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जान-12 जविप्रा, जयपुर

प्र० ८०१८०३८०  
१०५/२२

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ८५४

दिनांक..... ०९-५-२०२२

### लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी से यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अधिक से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकारानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिंग की योजना श्री राम विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग से ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपको एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपकी खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपर्कित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से पुर्णग्रहण योग्य है।

अतः यद्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारों अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपर्कित धारा 90ए(5) एवं संपर्कित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष से पुर्णग्रहित कर लिया जावें।

| ग्राम का नाम या तहसील | हाल खसरा नम्बर | रकम (हेक्टेर में)  | स्वामित्व   |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|
| माववा तहसील जयपुर     | 377            | 3.1110             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. गजेन्द्र सिंह पुत्र जतनसिंह हि. 46/1107 जाति राजपूत सा. झोटवाडा खातेदार</li> <li>2. गोविन्द सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह हि. 46/1107 जाति राजपूत सा. नि. उदयपुरवाटी झुञ्जुनू खातेदार</li> <li>3. त्रिलोकचन्द्र यादव पुत्र किशोरीलाल यादव हि. 46/1107 जाति अहीर (यादव) सा. नि. खादीबाग, चौमुख खातेदार</li> <li>4. दीपेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह हि. 46/1107 जाति राजपूत सा. नि. उदयपुरवाटी झुञ्जुनू खातेदार</li> <li>5. नाथुराम पुत्र अमोलकराम हि. 46/1107 जाति अहीर (यादव) सा. नि. निवारु खातेदार</li> <li>6. नितेश यादव पुत्र रामचन्द्र यादव हि. 46/1107 जाति अहीर (यादव) सा. गोविन्दपुरा खातेदार</li> <li>7. भंवरलाल पुत्र छोटराम हि. 46/1107 जाति जाट निवासी हाथोज खातेदार</li> <li>8. मनी देवी पत्नि सीताराम यादव हि. 20/369 जाति अहीर (यादव) सा. नारीकाबासपुरा खातेदार</li> <li>9. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह हि. 46/1107 जाति राजपूत सा. झोटवाडा खातेदार</li> <li>10. रघुवर दयाल पुत्र श्योनाथ हि. 65/246 जाति अहीर (यादव) सा. सा. नारीकाबासपुरा खातेदार</li> <li>11. राधा देवी पत्नि घनश्याम यादव हि. 20/369 जाति अहीर (यादव) सा. सा. नारीकाबासपुरा खातेदार</li> <li>12. लाली देवी पत्नि श्रवण कुमार हि. 20/369 जाति अहीर (यादव) सा. सा. नारीकाबासपुरा खातेदार</li> <li>13. संतोष अग्रवाल पत्नि विनोद कुमार अग्रवाल हि. 3/41 जाति महाजन सा. निवासी ए-182, नेहरू नगर पानीपेंच जयपुर पुरा खातेदार</li> <li>14. सुनिल गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 31/492 जाति अहीर (यादव) निवासी एच.एस 718, मीरा मार्ग जयपुर खातेदार</li> <li>15. सुभाष गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 31/492 जाति अहीर (यादव) निवासी एच.एस 718, मीरा मार्ग जयपुर खातेदार</li> <li>16. सुशे कुमार पुत्र मालुराम हि. 46/1107 जाति जाट सा. नि. बुहाना झुञ्जुनू खातेदार</li> </ul> |
|                       | 378            | 0.9991             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. रघुवरदयाल पुत्र श्योनाथ हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. नारीकाबास खातेदार</li> <li>2. सुनिल गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी एच.एस 718, मीरा मार्ग जयपुर खातेदार</li> <li>3. सुभाष गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी एच.एस 718, मीरा मार्ग जयपुर खातेदार</li> </ul>   |
|                       | 385/1          | 5.0459             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. अजीत चौधरी पुत्र रामगोपाल चौधरी हि. 20/399 जाति जाट सा. फ्लैट न. जी-२ प्लाट नं. 313, मानसरोवर कालोनी कालवाड रोड, जयपुर खातेदार</li> <li>2. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीश नारायण शर्मा हि. 1/16 जाति ब्राह्मण नि. 332ए, अक्की छीमत हाली ले-आउट शान्ति नगर बैंगलोर कर्नाटक खातेदार</li> <li>3. कैलाश चन्द्र गौड पुत्र मदनलाल गौड हि. 1/16 जाति ब्राह्मण निवासी 313, सातवा चौराहा अक्की छीमत हाली ले-आउट शान्ति नगर बैंगलोर कर्नाटक खातेदार</li> <li>4. प्रेमलता पत्नि रामसिंह हि. 20/399 जाति जाट निवासी गैस प्लान्ट के पास, बालाजी मन्दिर ग्राम भूरासरकाबास जिला झुञ्जुनू राजस्थान खातेदार</li> <li>5. रघुवर दयाल दयाल पुत्र श्योनाथ हि. 239/1596 जाति अहीर (यादव) सा. नारीकाबास खातेदार</li> <li>6. राकेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र गौड हि. 1/16 जाति ब्राह्मण निवासी 313, सातवा चौराहा अक्की छीमत हाली ले-आउट शान्ति नगर बैंगलोर कर्नाटक खातेदार</li> <li>7. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र जे.एन. शर्मा हि. 1/16 जाति ब्राह्मण नि. 332ए, अक्की छीमत हाली ले-आउट शान्ति नगर बैंगलोर कर्नाटक खातेदार</li> <li>8. सुनिल गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी एच.एस-718 मीरा मार्ग, जयपुर खातेदार</li> <li>9. सुभाष गोगोरिया पुत्र लक्ष्मीधर शर्मा हि. 1/4 जाति ब्राह्मण निवासी एच.एस-718 मीरा मार्ग, जयपुर खातेदार</li> </ul>  |
|                       | कुल किता 3     | कुल 9.1560 हैक्टे. |   |

PRO/R-301  
10/5/22

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव होतो मय साक्ष्य के विज्ञानि प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकता।

नोटिस आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जान-12 जविप्रा, जयपुर

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101773

दिनांक: 09/05/2022

**लोक सूचना**

मैसर्स राधारानी बिस्ट स्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र मित्तल पुत्र श्री सीताराम मित्तल, पंजीकृत कार्यालय 234, जी. एन.बी. रोड, गुवाहाटी क्लब के सामने, बस स्टैण्ड गुवाहाटी, असम  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र.सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम                    | खातेदार का नाम  | खसरा सं.  | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---------|--|---|-----------|----------------------|---------------------|
| 1.      | महासिंहपुरा उर्फ केश्यावाला सांगानेर (जयपुर) | मैसर्स राधारानी बिस्ट स्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र मित्तल पुत्र श्री सीताराम मित्तल, पंजीकृत कार्यालय 234, जी.एन.बी. रोड, गुवाहाटी क्लब के सामने, बस स्टैण्ड गुवाहाटी, असम | 111       | 2800                 | 0.28                |
|         |  |   | 112       | 3000                 | 0.30                |
|         |  |   | 911 / 113 | 1913                 | 0.1913              |
|         |  |   | 114       | 2800                 | 0.28                |
|         |  |   | 115 / 1   | 1500                 | 0.15                |
| कुल     |  |   |           |                      | 1.2013              |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वाकृत प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH) आईडीन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।**

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **09-05-2022** को जारी की गयी।

११  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

*PRO/R-307  
10/5/2022*



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: जविप्रा / उपा. जोन-8 / 2022 / डी- 1072

दिनांक: १५/०३/२०२२

### विज्ञप्ति / सूचना


निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

| क्र. सं. | भूखण्ड संख्या | योजना का नाम   | आवेदक का नाम   | मूल आवंटी का नाम                                   | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज                            |
|----------|---------------|--|--|--|---|
| 1        | ई-75          | पंचवटी कॉलोनी<br>ई (मित्र गृ.नि.स.<br>स.लि.)               | श्री सीताराम सैनी<br>पुत्र श्री गोपाल                | श्रीमती मंगली देवी<br>पत्नी श्री गोपाल<br>लाल सैनी | मृत्यु प्रमाण पत्र व<br>पंजीकृत हक्त्याग<br>दिनांक 22.03.22 |
| 2        | 04            | दुसादनगर-प्रथम<br>(दी कृष्णा<br>कॉ-ऑपरेटिव<br>हाऊ सोसायटी) | श्री मनीष कुमार<br>शर्मा पुत्र श्री<br>सीताराम शर्मा | श्री हरि सिंह पुत्र<br>श्री चन्द्रभान सिंह         | मृत्यु प्रमाण पत्र व<br>पंजीकृत हक्त्याग<br>दिनांक 31.08.20 |

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-२३७५

दिनांक ९.५.२२

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-


| क्र. सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल    | नाम / पता  | समिति का नाम                       | योजना का नाम       |
|----------|---------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------|
| 1        | 31            | 150 व.ग.     | श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री सीताराम खटीक, निवासी— ग्राम वाटिका, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान                                   | इन्दिरा विकास गृ. नि.स.स. लि.      | जीवन वाटिका        |
| 2        | G-18          | 224.44 व. ग  | श्रीमती अन्जू राधव पत्नी श्री आदेश कुमार सिंह राधव, निवासी— प्लाट नं. जी-18, गणेश विहार विस्तार, चंदलाई, जयपुर, राजस्थान।    | श्री गणपति गृ.नि.स.स. लि.          | गणेश विहार विस्तार |
| 3.       | D-245         | 200 व.ग.     | श्रीमती प्रेम सैनी पत्नी श्री सूर्य प्रकाश सैनी, निवासी— 232, नजदीक पणनो का चौक, बारह मोरी रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान। | श्री गणपति गृ.नि.स.स. लि.          | गणेश विहार विस्तार |
| 4        | 115           | 221.66 व. ग. | श्रीमती दिपा गुर्जर पत्नी श्री शीशराम गुर्जर, निवासी— गांव सहजपुर, तह. करौली, जिला करौली, राजस्थान।                          | निजी खातेदारी                      | विनायक संस्कृति    |
| 5        | 7             | 500 व.ग.     | श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री राजेश जैन, निवासी— 3, ग्रिन नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।   | श्री महावीर स्वामी गृ. नि.स.स. लि. | पदम विहार          |
| 6        | 153/110       | 80 व.ग.      | श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री रूपनारायण चौहान, निवासी— 153, गणेश नगर, मोती ढूंगरी, जयपुर, राजस्थान।                         | अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. लि.           | गोवर्धनपुरी        |

उक्त भूखण्डों का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-


1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

  
R.K.Vyas  
10/5/22

उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004

दूरभाष — Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in  
E:\d\driveld\drive RRS\zone-14\Assistant\Refund office order.doc



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जौन-4/2022 / डी- 932

दिनांक 10/5/2022

## विज्ञप्ति / सूचना

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विनायक विहार का दिनांक 13.05.22 को नियमन शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में निम्नांकित सारणी में वर्णित भूखण्डों द्वारा श्रृँखला दस्तावेजों में पंजीकृत विक्रय पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत वसीयतनामा, अपंजीकृत वसीयतनामा, उत्तराधिकार सम्बन्धी दस्तावेज, सहमति पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनके आधार पर नियमन किया जाना है। अतः निम्नांकित भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो कैम्प दिवस से पूर्व जविप्रा, जौन-4 कार्यालय में प्रस्तुत कर देवे। नियम अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

| क्र.सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल (वर्गगज में) | आवंटी सदस्य का नाम   | आवंटी सदस्य के पिता/पति का नाम |
|---------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1       | 1 व 2         | 915.13                 | श्री शैलेश कुमार     | श्री देवी शंकर                 |
| 2       | 3             | 250.00                 | श्रीमती अनिता राठौड़ | श्री मोहन सिंह                 |
| 3       | 4             | 271.66                 | श्री रामसिंह         | श्री गुमान सिंह                |
| 4       | 5             | 1138.77                | श्री महिपाल चौधरी    | श्रीमती हीराबाई                |
| 5       | 6             | 266.66                 | श्री नरेन्द्र देवाणी | श्री कन्हैयालाल देवाणी         |
| 6       | 7             | 277.77                 | श्री गोवर्धन सिंह    | श्री उमेद सिंह                 |
| 7       | 8 व 9         | 406.66                 | श्री मानसिंह         | श्री गुलाबसिंह                 |
| 8       | 10 व 11       | 348.33                 | श्री शक्ति सिंह      | श्री जयदीप सिंह                |
| 9       | 12 व 13       | 318.33                 | श्रीमती जनक कुमारी   | श्री भंवर लोकेन्द्र सिंह       |
| 10      | 14 व 15       | 288.33                 | श्री महेश गोयल       | श्री हरिनारायण                 |
| 11      | 16            | 882.00                 | श्रीमती चन्द्रकला    | श्री देवीशंकर                  |

21.)  
उपायुक्त जौन-4  
उपायुक्त जौन-4  
जविप्रा, जयपुर।

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101748

दिनांक: 10/05/2022

**लोक सूचना**

श्रीमति PRATIBHA SINGHAL पत्नी श्री GHANSHYAM SINGHAL जाति AGRAWAL निवासी GANESH JI KI BAGICHI, SURAJPOLE GATE, JAIPUR 302003

श्रीमति SUSHMA BHARGAV पत्नी श्री SHASHI BHARGAV जाति SHARMA निवासी 26 RAJ AAGAN N.R.I. COLONY PRATAP NAGAR, JAIPUR

श्रीमति SUNITA JAUHRI पत्नी श्री SATYANARAYAN JAUHRI जाति SONI निवासी 1/398 PARIK COLLEHE ROAD , JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम                                   | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हेक्ट.) |
|----------|---------------------------|--|----------|-----------------------|--------------------|
| 1.       | महला, मौजमाबाद (जयपुर)    | PRATIBHA SINGHAL, SUNITA JAUHARI, SUSHMA BHARGAV | 41,42,44 | 67840                 | 6.784              |
| कुल      |                           |  |          |                       | 6.784              |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10-05-2022 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी जोन-12**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**